गुरुवार
16 फ़रवरी 1956

लोक-सभा

वाद-विवाद

[भाग २---प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही]

खण्ड १, १९५६

(१५ फरवरी से ३ मार्च, १९५६)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

बारहवां सत्र, १९५६

[खण्ड १ में अंक १ से १५ तक हैं]

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय-सूची

[खंड १—१५ फरवरी, १९५६ से ३ मार्च, १९५६ तक]

	पृष्ठ
संख्या १—बुधवार, १५ फरवरी, १९५६	
राष्ट्रपति का अभिभाषण	१–५
अध्यक्ष महोदय से सन्देश	६
श्री नटेशन का निधन	६
विशेषाधिकार प्रश्न ...	६–७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	७
स्थान प्रस्ताव—	
पुर्तगाली सशस्त्र सेना द्वारा भारतीय राज्यक्षेत्र का अतिक्रमण	८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ...	८–१०
लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक	१०
प्रतिभूति संविदायें (विनियमन) विधेयक	११
नौवहन नियंत्रण (जारी रखना) विधेयक	११
दैनिक संक्षेपिका ...	१२–१५
संख्या २—गुरुवार, १६ फरवरी, १९५६	
श्री मेघनाद साहा का निधन	१७
दैनिक संक्षपिका	१८
संख्या ३—शुक्रवार, १७ फरवरी, १९५६	
स्थगन प्रस्ताव—	
मनीपुर राज्य में गोली चलाना	१९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२०–२२, २३
ग़ैर-सकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
तैंतालीसवां प्रतिवेदन ...	२१, ४६–४७
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक	२१
बिक्री-कर विधियां मान्यीकरण विधेयक	२१–२२
पूंजी निर्गम (नियंत्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक	२२
जीवन बीमा निगम विधेयक	२२
लोक-सभा का कार्य	२३, ४६
विशेषाधिकार का प्रश्न	२३
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, ...	२४–४२
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	४३–४६
औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प	४७–६४
दैनिक संक्षेपिका	६५–६६

संख्या ४—शनिवार, १८ फरवरी, १९५६

	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति—	
इकतीसवां प्रतिवेदन	६८
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	६७—७०
खंड १—२९ ...	७०—९७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	९७
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विधि जीवी परिषद् (राज्य विधियों का मान्यीकरण) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	९७—१०४
खंड १—२ और अनुसूची	१०४—०५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ...	१०५
स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१०५—०६
खंड १—२	१०६—०७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	१०७
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—	
राज्य-सभा के संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव	१०७—१०
भारतीय रेडक्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	११०—१३
खंड १—९ और अनुसूची १—३ ...	११३—१४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	११४—१५
सेंट जान एम्बूलेंस एसोशिएसन (भारत) विधियों का स्थानान्तरण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	११५—१६
खंड १—२ और अनुसूची ...	११६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	११६—१७
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	११७—२५
दैनिक संक्षेपिका	१२६

संख्या ५—सोमवार, २० फरवरी, १९५६

आचार्य नरेन्द्र देव का निधन	१२७—२८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१२९
कार्य मंत्रणा समिति—	
इकतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१२९
दो सदस्यों की नज़रबन्दी से रिहाई ...	१२९
राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव	१३०—७०
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१७०—८३
खंडों पर विचार	१८३—८७
दैनिक संक्षेपिका	१८८

	पृष्ठ
संख्या ६—मंगलवार, २१ फरवरी, १९५६	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१८९–९०
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—रायें	१९०
राज्य-सभा से संदेश	१९०
बहु-एकक सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, १९५६	१९१
प्राक्कलन समिति	
उन्नीसवां प्रतिवेदन	१९१
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—	
खण्ड	१९१–९३
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	१९३–९६
राष्ट्रपति का अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव	१९६–२३५
दैनिक संक्षेपिका	२३६–३७
संख्या ७—बुधवार, २२ फरवरी, १९५६	
स्थगन प्रस्ताव—	
कच्छ की खाड़ी के छाड़बेट में पाकिस्तानी सेना का बलात् प्रवेश	२३९–४१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२४१–४२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चालीसवां प्रतिवेदन ...	२४२
समिति के लिये निर्वाचन—	
दिल्ली विकास अस्थायी प्राधिकार ...	२४३
राष्ट्रपति का अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव	२४३–९१
दैनिक संक्षेपिका	२९२–९३
संख्या ८—गुरुवार, २३ फरवरी, १९५६	
सदस्य की गिरफ्तारी के लिये वारण्ट	२९५
रेलवे आय-व्ययक का उपस्थापन ...	२९५–३१३
राष्ट्रपति का अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव	३१३–५६
दैनिक संक्षेपिका	३५७
संख्या ९—शुक्रवार, २४ फरवरी, १९५६	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३५९
राज्य-सभा से सन्देश	३५९
भारत लाख उपकर (संशोधन) विधेयक ...	३५९
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में याचिकाएं	३५९–६०
नौवहन नियंत्रण (जारी रखना) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	३६०–७७
खण्ड २ और १ ...	३७७
पारित करने का प्रस्ताव	३७७–७८
पूंजी निर्गम (नियंत्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव ..	३७८–८५

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
चवालीसवां प्रतिवेदन ... ३८५
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा १७०क का रखा जाना) ३८५
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा ४२७क का रखा जाना) ३८६
विधान-मंडलों की कार्यवाही (प्रकाशन-संरक्षण) विधेयक ... ३८६
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक (धारा ६५, आदि के स्थान पर नई धारा रखना)—
विचार करने का प्रस्ताव ३८६–४०१
अनुपूरक अनुदानों की मांगें ४०१
श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ४०१–०६
दैनिक संक्षेपिका ... ४०७–०८

संख्या १०—सोमवार, २७ फरवरी, १९५६

श्री जी० वी० मावलंकर का निधन ४०९–१६
दैनिक संक्षेपिका ४१७

संख्या ११—मंगलवार, २८ फरवरी, १९५६

श्री लालचन्द नवलराय का निधन ४१९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४१९–२०
राष्ट्रपति से सन्देश ४२०
राज्य-सभा से सन्देश ४२०
भारतीय रुई उपकर (संशोधन) विधेयक ४२१
एक सदस्य की गिरफ्तारी ४२१
प्राक्कलन समिति—
बीसवां प्रतिवेदन ४२१
समिति के लिये निर्वाचन
राष्ट्रीय सेना छात्र दल की केन्द्रीय मंत्रणा समिति ... ४२१
कृषिउत्पाद (विकास तथा गोदामों में रखने की व्यवस्था) निर्गम विधेयक ४२१–२२
पूंजी निर्गन (नियंत्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ४२२–२३
खण्ड २, ३ और १ ... ... ४४३
पारित करने का प्रस्ताव ... ४४३
बिक्री कर विधियां मान्यीकरण विधेयक
विचार करने का प्रस्ताव ४४४–६३
दैनिक संक्षेपिका ४६४–६५

संख्या १२—बुधवार, २९ फरवरी, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ४६७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
पैंतालीसवां प्रतिवेदन ४६७

प्रतिभूति संविदायें (विनियमन) विधेयक ४६७

विक्री-कर विधियाँ मान्यीकरण विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ४६८—८८

खण्ड २, ३ और १ ४८९—९२

पारित करने का प्रस्ताव ४९२

सभा का कार्य ... ४९२

जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ४९२—५१०

१९५६-५७ के सामान्य आय-व्ययक का उपस्थापन ५१०—३२

वित्त विधेयक ५३२

दैनिक संक्षेपिका ५३३

संख्या १३—गुरुवार, १ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ५३५

प्राक्कलन समिति—

इक्कीसवां प्रतिवेदन ५३५

सभा का कार्य—

बैठक का समय ५३५

१९५५-५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें ५३६...७६

विनियोग विधेयक ५७६

जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ५७६—९१

दैनिक संक्षेपिका ५९२

संख्या १४—शुक्रवार, २ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ५९३—९४

राज्य-सभा से सन्देश ५९४

विनियोग विधेयक ... ५९४

जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ... ... ५९५—६१२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पैंतालीसवां प्रतिवेदन ६१२

सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं की जांच के लिये समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प ६१३—३५

मद्य निषेध के लिये अंतिम तिथि निश्चित करने के बारे में संकल्प ६३५

दैनिक संक्षेपिका ६३६

संख्या १५—शनिवार, ३ मार्च, १९५६

स्थगन प्रस्ताव ६३७—३८

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ६३९

वित्त विधेयक में छपाई की गलतियों के बारे में वक्तव्य ...	६३९
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	६३९–६[illegible]
खण्ड २ से १६ और १	६६८–७७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	६७७–७८
दैनिक संक्षेपिका	६७९

M87LSD—190—21-3-58—GIPF

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २ — प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

गुरुवार, १६ फरवरी, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(प्रश्न नहीं पूछे गये—भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ)

श्री मेघनाद साहा का निधन

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखपटनम) : उपाध्यक्ष महोदय मुझे, यह जानकर बड़ा खेद हुआ है कि हमारे आदरणीय मित्र श्री मेघनाथ साहा का निधन हो गया है। अतः पूर्व प्रथा के अनुसार अब लोक-सभा की कार्यवाही स्थगित हो जानी चाहिये।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : हमारी सब की यही प्रार्थना है।

योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा) : अपने सहयोगी की दुःखद मृत्यु के आकस्मिक समाचार से हम सब को अत्यन्त शोक हुआ है। निश्चय ही सभा के सभी सदस्यों को शोक हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे हस्पताल से सूचना मिली है। योजना आयोग के उप-सचिव श्री कोत्तान्डारामन ने मुझे टेलीफोन पर बताया कि डा० मेघनाथ साहा आध घंटा पहले योजना आयोग की बैठक के लिये चल पड़े थे और वे अचानक गिर पड़े और बेहोश हो गये। वे हस्पताल ले जाये गये और रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। वे भारत के महान् सपूतों में से एक थे। वे महान् वैज्ञानिक थे और उनके कार्य का हमारे लिये बहुत मूल्य था। वे हमारे विख्यात लोगों में से एक थे और उनके अभाव में हमें सहानुभूति और सम्मान स्वरूप कार्यवाही स्थगित करनी चाहिये। माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि वे एक मिनट के लिये मौन खड़े रहें।

तत्पश्चात् सभासद एक मिनट के लिये मौन खड़े रहे।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, १७ फरवरी, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, १६ फरवरी, १९५६]

पृष्ठ

निधन सम्बन्धी उल्लेख १७

उपाध्यक्ष महोदय ने लोक-सभा के एक वर्तमान सदस्य श्री मेघनाद साहा के निधन का उल्लेख किया। तत्पश्चात् लोक-सभा के सदस्य सम्मान हेतु एक मिनट के लिये मौन खड़े रहे और सभा स्थगित हुई ।

शुक्रवार, १७ फरवरी, १९५६ की कार्यावली–

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक और औद्योगिक सेवा आयोग के सम्बन्ध में संकल्प ।

M74LSD--190—20-9-57—GIPF.